न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/60

दायरा तिथि : 07.02.2022

आदेश तिथिः 17-10-2022

प्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

अप्राथीगण :–

1. आशा पुत्री रमेश जाति सरगरा
2. कन्या पुत्री हंसाराम जाति सरगरा
3. कपुराराम पुत्र धना जाति सरगरा
4. कमलाबाई पत्नि रमेश जाति सरगरा
5. गुलाबराम पुत्र धना जाति सरगरा
6. गीता पुत्री हंसाराम जाति सरगरा
7. चम्पा पत्नि हंसाराम जाति सरगरा
8. चौथी पत्नि चुन्नीलाल जाति सरगरा
9. जयसिंह उर्फ जयन्तिलाल पुत्र पुखराज जाति मेगवाल
10. नाबालिग महावीर पुत्र रमेश जाति सरगरा
11. नाबालिग विक्रम पुत्र रमेश जाति सरगरा
12. निलम पुत्री रमेश जाति सरगरा
13. प्रकाश पुत्र चुन्नीलाल जाति सरगरा
14. पायल पुत्री रमेश जाति सरगरा
15. फूलाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति सरगरा
16. मोहनलाल पुत्र हंसाराम जाति सरगरा
17. शंकरलाल पुत्र धना जाति सरगरा
18. संतोष पुत्री रमेश जाति सरगरा
19. सोनाराम पुत्र हंसाराम जाति सरगरा

निवासीगण सेसली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

–:: आदेश ::– दिनांक : 17-10-2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम सेसली स्थित भूमि खसरा नंबर 377 रकबा 0.31 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदारो द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पक्के चार दीवारी बाडे, टीन शेड मकान बनाकर अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील के बावजुद अप्रार्थीगण नियत पेशी दिनांक 06.04.2022 व उसके बाद की नियत पेशीयो पर न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से दिनांक 17.05.2022 को समस्त अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहने से प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सेसली स्थित भूमि खसरा नंबर 377 रकबा 0.31 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की भूमि कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर खातेदारो द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पक्के चार दीवारी बाडे टीन शेड मकान बना लिये है तथा मौके पर आवासीय प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है, अप्रार्थीगण का उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। **धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली–(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षैत्र से बेदखल किया जा सकेगा–**

(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो, या

(ख) इस आधार पर कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं हैं:

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

राजस्व विविध प्रकरण सं0 Gcms No 2022/60

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम आशा वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सेसली के खसरा नंबर 377 रकबा 0.31 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की भूमि कृषि भूमि है। परन्तु पटवारी हल्का, सेसली की मौका फर्द दिनांक 21.01.2022 के अनुसार वर्णित भूमि में मौके पर खातेदारे द्वारा **पक्के चार दीवारी बाडे, टीन शेड मकान** बना लिये है तथा भूमि का मौके पर कृषि उपयोग न होकर अकृषि प्रयोजन आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। जबकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजन उपयोग में लेने के ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उक्त भूमि के सबंध में खातेदारो द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। जिससे धारा 177 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का अधिकारी बनता है। जिससे प्रार्थी भूमिधारी के आवेदन अनुसार वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम सेसली के खसरा नंबर 377 रकबा 0.31 हैक्टर किस्म चाही प्रथम को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेते हुये पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेसली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)

उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 17-10-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)